

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कः.एफ.28()परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ.-शाहपुरा/अनु.कार्य./2019/ 1027 जयपुर,दिनांक: 8/7/2020

:: आदेश ::

विभागीय आदेश क्रमांक 3389 दिनांक 13.09.2019 द्वारा श्री ललित कुमार शर्मा एवं श्री गजानन्द कमलेश, पंचायत प्रसार अधिकारी (सहायक विकास अधिकारी) पंचायत समिति शाहपुरा (जयपुर) को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर, निलम्बन काल में इनका मुख्यालय जिला परिषद दौसा किया गया।

श्री ललित कुमार शर्मा एवं श्री गजानन्द कमलेश को निलम्बित हुये मार्च, 2020 में 6 माह से अधिक हो जाने के कारण राजस्थान सेवा नियम के नियम 53 (1) में वर्णित प्रावधानानुसार "6 माह से अधिक अवधि हेतु प्रथम 6 माह में देय अर्द्ध वेतन का 50 प्रतिशत (निलम्बन से पूर्व प्राप्त कर रहे वेतन का 75 प्रतिशत) तक निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने की एतद्व द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जयपुर/दौसा।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति शाहपुरा (जयपुर)।
4. श्री ललित कुमार शर्मा एवं श्री गजानन्द कमलेश, हाल निलम्बित सहायक विकास अधिकारी (पंचायत प्रसार अधिकारी) मुख्यालय जिला परिषद दौसा।
5. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)